2010:CGHC:12146

दाण्डिक अपील क्रं 299/92; 300/92 एवं 327/92

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

पीठ : माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता,
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,

दा०अ०क्र० 299/1992

मोहन दास पिता मुकंडीराम, जाति सतनामी,
उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी खुर्तीपार थाना
डोंगरगढ़, जिला राजनाँदगाँव ..... अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य
(वर्त्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) ..... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दा०अ०क्र० 300/1992

गजानंद पिता बिसौहा राम सतनामी, उम्र लगभग 29 वर्ष,
निवासी खुर्तीपार थाना डोंगरगढ़, जिला राजनाँदगाँव .....
अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य
(वर्त्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) ..... प्रत्यर्थी

दा०अ०क्र० 327/1992

अंजोर, पिता नंदूराम सतनामी, उम्र लगभग 18 वर्ष,
निवासी खुर्सीपार थाना डोंगरगढ़, जिला राजनाँदगाँव .....
अपीलार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य
(वर्त्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) ..... प्रत्यर्थी

2010:CGHC:12146

दाण्डिक अपील क्रं 299/92; 300/92 एवं 327/92

(द. प्र. स., 1973 की धारा 374(2) के तहत अपीले)

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री पी.के.सी. तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री शशि भूषण अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	अखिल अग्रवाल, शासकीय पेनल अधिवक्ता

निर्णय

(27-08-2010 को पारित)

न्यायलय का निम्लिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उदघोषित किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह अपीलें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 31.01.1992 को सत्र प्रकरण क्रमांक 74/91 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं,, जिसके अंतर्गत चारों अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. कुल चार अभियुक्त को उपर्युक्त प्रकार से दोषसिद्ध कर दंडित किया गया था। इन चार में से तीन अभियुक्त ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं। चौथे अभियुक्त रामलू ने भी अपनी दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध पृथक अपील दायर की थी, जो दाण्डिक अपील क्रमांक 301/92 के रूप में पंजीकृत हुई है। तथापि, जब उसे राज्य सरकार द्वारा दंडमुक्ति प्रदान किया गया और वह दिनांक 04.08.2004 को केंद्रीय जेल, रायपुर से रिहा हुआ, तो उसकी अपील को "निष्प्रेरित" कहकर खारिज कर दिया गया।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं—

दिनांक 15.02.1991 को मृतक मन्नूलाल का शव गाँव के बाहरी क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। मृतक के पिता बिसेलाल (अ.सा.-1) ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचित किया और मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया। मृतक की बनियान के अंदर से एक पत्र (कथित आत्महत्या पत्र) प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त किया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, जो डॉ. आई.एस. ठाकुर (अ.सा.-6) द्वारा संपन्न किया गया। इसके पश्चात दिनांक 17.03.1991 को ग्राम पंचायत की बैठक हुई, जिसमें

अभियुक्त अंजोर (अभियुक्तों में से एक) ने एक अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति किया। ग्रामवासियों ने उक्त न्यायिक संस्वीकृति को लिखित रूप में (प्रदर्श पी-4) के रूप में तैयार कर पुलिस को सौंपा। प्रदर्श पी-4 में चारों अभियुक्तों के नाम और अपराध की प्रक्रिया का विवरण अंकित था। उसमें यह भी उल्लेख था कि मृतक का मानववध गला दबाकर गमछे से किया गया तथा उसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त मोहनदास द्वारा लिखा गया कथित आत्महत्या पत्र मृतक की बनियान में डाल दिया गया। मृतक के गले में जो रस्सी पाई गई, वह चमड़े की नाहन थी, जो अभियुक्त मोहनदास के घर से लाई गई थी। उक्त आत्महत्या पत्र को हस्तलेखन विशेषज्ञ श्री ए.के. पौराणिक, जो प्रश्नगत दस्तावेजों के अतिरिक्त राज्य परीक्षक, शासन म.प्र., भोपाल थे, उनके पास परीक्षण हेतु भेजा गया। उन्होंने रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) प्रस्तुत की, जिसके अनुसार यह आत्महत्या पत्र मृतक द्वारा नहीं, बल्कि अभियुक्त मोहनदास द्वारा लिखा गया था।

4. माननीय सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अंजोर द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय माना। उन्होंने हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट एवं अभियुक्त मोहनदास के रस्सी की पहचान के साक्ष्य को भी स्वीकार किया और उसी के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.के.सी. तिवारी जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित थे, ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त अंजोर द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है क्योंकि वह स्वीकारोक्ति स्वयं स्वीकारकर्ता को प्रभावित नहीं करता था बल्कि केवल सह-अभियुक्तों को प्रभावित करता था। अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी ग्राह्य नहीं है क्योंकि संबंधित विशेषज्ञ का न्यायालय में परीक्षण नहीं किया गया। इसलिए वह रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं था। जहाँ तक अभियुक्त मोहनदास के रस्सी की पहचान का प्रश्न है, श्री तिवारी ने यह तर्क दिया कि ऐसी चमड़े की नाहन हर ग्रामीण घर में सामान्यतः पाई जाती है, अतः इससे अभियुक्तों को अपराध से जोड़ना संभव नहीं है।

6. श्री अखिल अग्रवाल, शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता, ने इन सभी तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनीं और सत्र न्यायालय के संपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. यह गृहीत है कि इस घटना का कोई पक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाले मामलों में यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिस्थिति पूर्णतः स्थापित हो और स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त की दोष सिद्धि की परिकल्पना से ही मेल खाते हों अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना से समझाए नहीं जा सकते। परिस्थितियाँ निर्णायक और निष्कर्षात्मक प्रकृति की होनी चाहिए की वे सिद्ध की जाने वाली परकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर कर दें और साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि निर्दोषता की कोई भी उचित संभावना न रहे तथा यह स्पष्ट हो कि मानव संभावना में यह कृत्य अभियुक्तों द्वारा ही किया गया होगा।

9. वर्तमान मामले में, माननीय सत्र न्यायालय ने दोषसिद्धि निम्नलिखित तीन परिस्थितियों पर आधारित की— (i) अभियुक्त अंजोर द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति , (ii) अभियुक्त मोहनदास द्वारा लिखा गया आत्महत्या पत्र, तथा (iii) मृतक के गले में पाई गई चमड़े की रस्सी का अभियुक्त मोहनदास से संबंध।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक प्रथम परिस्थिति अर्थात् अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति का संबंध है, उक्त संस्वीकृति घटना के लगभग एक माह पश्चात् अभियुक्तों में से एक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष किया गया था। स्वीकारोक्ति-पत्र (प्रदर्श पी-4) की विषयवस्तु से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वीकारोक्ति उसके कर्ता अर्थात् अभियुक्त अंजोर को प्रभावित नहीं करती थी। उक्त संस्वीकृति में अभियुक्त अंजोर के विरुद्ध कोई आरोप या अभियोग नहीं किया गया है। इसके विपरीत, उस स्वीकारोक्ति में यह उल्लिखित है कि सह-अभियुक्तों ने उसे यह चेतावनी दी थी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो उसे भी इस प्रकरण में फँसा दिया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की धारा 30 यह उपबंध करती है कि यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी समान अपराध के लिए संयुक्त रूप से अभियुक्त हों और उनमे से किसी एक द्वारा की गई ऐसी स्वीकारोक्ति जो स्वयं स्वीकारकर्ता तथा अन्य सह-अभियुक्तों को प्रभावित करती हो, सिद्ध हो जाती है, तो न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति को स्वीकारकर्ता के साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भी विचार कर सकता है| इस उपबंध से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि ऐसी स्वीकारोक्ति तभी ग्राह्य होगी जब वह स्वयं स्वीकारकर्ता को प्रभावित करती हो। यदि कोई स्वीकारोक्ति स्वयं स्वीकारकर्ता को प्रभावित नहीं करती, तो वह धारा 30 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रासंगिक नहीं होगी और वह अभियुक्तों को अपराध से जोड़ने हेतु कोई अभियोजन संबंधी परिस्थिति नहीं बन सकेगी। वर्तमान प्रकरण में भी, जैसा कि ऊपर विवेचित किया गया है, यह स्वीकारोक्ति स्वयं उसके कर्ता को प्रभावित नहीं करता था, अतः यह अभियुक्तों के विरुद्ध

किसी भी प्रकार से अभियोजन हेतु अभियोगात्मक नहीं था। इस प्रकार, माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन संबंधी परिस्थिति मानना कानूनी त्रुटि था।

11. जहाँ तक हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट का प्रश्न है, हमने पाया कि उस विशेषज्ञ का न्यायालय में परीक्षण नहीं किया गया। बचाव पक्ष की ओर से यह आपत्ति भी ली गई थी कि विशेषज्ञ के परीक्षण के बिना ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता, किन्तु यह आपत्ति सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिभावी कर दी गई। सत्र न्यायाधीश ने उक्त रिपोर्ट को सिद्ध माना और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के आधार पर स्वीकार किया। धारा 293 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान इस प्रकार है:—

"293. कुछ शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें :

(1) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जिस पर यह धारा लागू होती है, के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखता है, किसी विषय या चीज पर जो उसे इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से प्रस्तुत की गई है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में उससे पूछताछ कर सकता है।

(3) जहां किसी ऐसे विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह, जब तक कि न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का स्पष्ट निर्देश न दिया हो, अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, यदि ऐसा अधिकारी मामले के तथ्यों से परिचित हो और उसकी ओर से न्यायालय में संतोषजनक रूप से गवाही दे सके।

(4) यह खंड निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होता है, अर्थात्;

(a) सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक;

(b) विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक;

(c) फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशक;

(d) निदेशक, हाफकीन संस्थान, बॉम्बे;

(e) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक;

(f) सरकार को सीरोलॉजिस्ट।

(g) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ।

उपधारा (4) के खंड (g) को दिनांक 23.06.2006 से प्रभावी किया गया था। अन्य खंडों के अंतर्गत, हमारे विचारानुसार, हस्तलेखन विशेषज्ञ अर्थात् राज्य प्रश्नित दस्तावेज़ों के अतिरिक्त परीक्षक, शासन म.प्र., भोपाल, का समावेश करना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति जब राज्य प्रश्नित दस्तावेज़ परीक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, तो वह धारा 293 दंड प्रक्रिया संहिता की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता। चूँकि यह प्रावधान स्पष्ट और विशिष्ट है अतः न्यायालय को केवल उन्हीं छः अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज़ों को, जो धारा 293 में उल्लेखित हैं, लेखक के परीक्षण के बिना वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना होता है। अतः, सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट, जब तक उसे उस विशेषज्ञ द्वारा, जिसने वह रिपोर्ट तैयार की थी, सिद्ध नहीं किया गया, तब तक वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं था। क्योंकि विशेषज्ञ का परीक्षण न्यायालय में नहीं किया गया था, इसलिए सत्र न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तीसरी परिस्थिति रस्सी के संबंध में साक्ष्य यह है कि (अ.सा.-3) बिहारीलाल ने कहा कि मृतक के गले में जो चमड़े की रस्सी (नाहन) पाई गई, वैसी रस्सी उसने अभियुक्त मोहनदास के घर में देखी थी। परंतु इस प्रकार की रस्सी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से हर घर में पाई जाती है। अतः यह कोई निर्णायक या अपराध से जोड़ने वाली परिस्थिति नहीं थी।

13. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हम पाते है कि कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने में कानूनी त्रुटि किया है। उपरोक्त परिश्थितिजन्य साक्ष्य पर अपीलार्थीगण को दी गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

14. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। अभियुक्तों की धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं सजा अपास्त की जाती है। अभियुक्तों पर अधिरोपित आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। यह अभिलेखित है कि अभियुक्तों को दिनांक 19.03.1991 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया था तथा 16.04.2002 को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान में वे जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उनके जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL